...ल नं. ....उनवान..बनाम...

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
13.11.24	पत्रावली पेश हुई तहसील बारां से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त को ज्ञात किया कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के पक्षकारान प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी ... प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ... राजस्व तह० बारां का पक्षकारान के मध्य ... पृथक पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-	

	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा
1	गुलजार अली पुत्र छोटया जाति मुसलमान नि० तालाबपाड़ा बारां	69	0.64
		77	0.84
		कुल किता 2	1.48 है०
2.	फकीर मो० पुत्र छोटया जाति मुसलमान नि० तालाबपाड़ा बारां हि० 1/2 मो० इमरान, मो० इरफान, पुत्र नसरीन, परवीन, नाजमीन, यासमीन, नगीना, बेटी मुन्नी, मकबूल बानो बेवा मो० इस्हाक जाति मुसलमान नि० तालाबपाड़ा हि० 1/2	319	2.60 है०
3.	मुन्ना अली पुत्र छोटया जाति मुसलमान नि० तालाब पाड़ा बारां	386	1.15 है०

4. ख.नं. 147 रकबा 0.04 है० ... एवं कार्यवाही ... के तहत ... विवादित आराजी का पृथक ... किया जाकर राजस्व रिकार्ड ... बारां को आदेशित ... तहसीलदार ... पत्रावली ... आदेश ... नकल ... के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

सं. 17/18	धारा अंतर्गत 53,188 RTA	निर्णय दिनांक 18-11-21
श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभापक वादी श्री ओम भारद्वाज		अभिभापक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

मुमताज अली पुत्र छोटया जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तह. बारां

बनाम

1. फकीर मोहम्मद पुत्र छोटया जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा तह. बारां
2. मुन्ना अली पुत्र छोटया जाति मुसलमान निवासी तालाबपाडा तह. बारां
3. मो० इरशाद 4. मोः इरफान 5. नसरीन औरत मोः इरशाक
6. परवीन पुत्री मोः इरशाक 7. नाजमीन पुत्री मोः इरशाक
8. यासमीन पुत्री मोः इरशाक 9. नगीना पुत्री मोः इरशाक जाति मुसलमान
10. बंटी पुत्री मोः इरशाक जाति मुसलमान नि० तालाब पाडा तह. बारां
11. मकबूल बानो बेवा मोः इरशाक जाति मुसलमान नि तालाबपाडा बारां तह. बारां
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा तह. बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख० नं	रकबा
1- मुमताज अली पुत्र छोटया जाति मुस० नि तालाबपाडा बारां	69	0.64
	717	0.84
	2 किता	1.48 है०
2- फकीर मो० पुत्र छोटया मुस० नि तालाबपाडा बारां 1/2 मो० इरशाद, मोः इरफान पुत्रान, नसरीन, परवीन, नाजमीन, यासमीन, नगीना, बंटी पुत्रीयां, मकबूल बानो बेवा मोः इरशाक जाति मुसलमान नि तालाब पाडा 1/2	319	2.60 है०
3- मुन्ना अली पुत्र छोटया जाति मुसलमान नि तालाबपाडा बारां	386	1.15 है०

ख० नं 147 रकबा 0.04 है० खाते वादी एवं जरिये नांगल के मध्य शामलाती आवागमन के रहेगी उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड के अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18.11.21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या ए 017/18 दावा
दायरा दिनांक :– 24.01.2018
निर्णय दिनांक :–

उनवान

1. मुमताज अली पुत्र छोट्या जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां

बनाम

1. फकीर मोहम्मद पुत्र छोट्या जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
2. मुन्ना अली पुत्र छोट्या जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
3. मो0 इरसाद पुत्र मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
4. मो0 इरफान पुत्र मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
5. नसरीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
6. परवीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
7. नाजमीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
8. यासमीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
9. नगीना पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
10. बंटी पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
11. मकबूल बानो बेवा मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
12. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओम भारद्वाज – वादी
2 श्री जमील अहमद – प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी द्वारा वाद प[illegible]न्तर्ग[illegible] धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश [illegible]या।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with OKEN Scanner

वाके माल ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां के जमाबंदी सम्वत 2070–73 का खाता संख्या नया 91 पुराना 93 की आराजी खसरा नं0 69 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 147 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 319 रकबा 2.60 है0, ख0नं0 386 रकबा 1.15 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 5.27 है0 कुल लगानी 56.28 रूपये स्थित है। जिस वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त आराजियात के मूल खातेदार छोट्या थे जिनका देहान्त हो चुका है व उनकी पत्नी भंवरीबाई का भी देहान्त हो चुका है। छोट्या के चार पुत्र थे जिसमें से मोहम्मद इश्हाक का भी देहान्त हो चुका है। जिसके वेधानिकवारिसान एवं कायम मुकामान प्रतिवादी कम 3 लगायत 11 है इसके अलावा मृतक मोहम्मद इश्हाक के अन्य कोई वारिसान नहीं है।

विवादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी कम 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी कम 3 लगायत 11 का 1/4 हिस्सा है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है किन्तु शामिल खाता होने से भुसुधार करने, एवं कृषि ऋण लेने व अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करने में असुविधा उत्पन्न होती है। इस कारण वादी अपने हिस्से का बाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रति वादी गण की और से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम राजपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 91, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2070–73, नकल नामा0 सं0 209 ग्राम राजपुरा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में मुमताज अली के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा में स्थित है जो वादी एक प्रतिवादी गण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से का पृथक–पृथक विभाजन करा कर अलग खाते दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादी गण द्वारा इकवाली जवाब प्रस्तुत कर वादी एवं प्रतिवादीगण सभी का पृथक–पृथक विभाजन कर अलग खाते दर्ज करने का निवेदन किया है तथा प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे तथा समस्त खातेदारान का हिस्सा पृथक–पृथक कर अलग खाते दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with OKEN Scanner

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम राजपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 91 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी गण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 का 3/4 हिस्सा दर्ज है। एवं प्रतिवादी कम 3ता11 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपने हिस्सा 1/4 का पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहता है। तथा प्रतिवादी गण द्वारा इकवाली जवाब प्रस्तुत कर वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर अलग खाते दर्ज करने में प्रतिवादी गण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का पृथक–पृथक विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा तहसील बारां के खसरा नं0 69 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 147 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 319 रकबा 2.60 है0, ख0नं0 386 रकबा 1.15 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 5.27 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

संख्या 017/18 धारा अन्तर्गत 188,53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 27.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां	
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम भारद्वाज	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री जमील अहमद

वाद शीर्षक

उनवान

1. मुमताज अली पुत्र छोट्या जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां

बनाम

1. फकीर मोहम्मद पुत्र छोट्या जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
2. मुन्ना अली पुत्र छोट्या जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
3. मो0 इरसाद पुत्र मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
4. मो0 इरफान पुत्र मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
5. नसरीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
6. परवीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
7. नाजमीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
8. यासमीन पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
9. नगीना पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
10. बंटी पुत्री मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां
11. मकबूल बानो बेवा मो0 इश्हाक मुसलमान निवासी तालाब पाडा बारां तहसील व जिला बारां

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा तहसील बारां के खसरा नं0 69 रकबा 0.64 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 147 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 319 रकबा 2.60 है0, ख0नं0 386 रकबा 1.15 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 5.27 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 27.09.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:35:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner